UPFR120024112022

Bail Application/447/2022

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कायमगंज फर्रूखाबाद

राज्य प्रति मुन्नी देवी आदि

मु०अ०सं०:-639/2018

धारा:323,325,504भा.द.स.

थाना:- कायमगंज

जिला:-फर्रूखाबाद

दिनांक:18-10-2022

अभियुक्तगण मुन्नी देवी, रामदास, नन्हे, मन्नू की ओर से मु०अ०सं० 639/2018 अंतर्गत धारा 323,325,504 भा.द.स. थाना कायमगंज, जिला फर्रूखाबाद के अपराध में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा मे निरुद्ध है।

अभियुक्तगण का कथन है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त मुकदमें में रंजिशन व झूठा फंसाया गया है एवं प्रार्थनापत्र में उल्लिखित अन्य कथनों के माध्यम से जमानत की याचना की गयी है।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन किया गया है कि अपराध जमानतीय है।

सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अतः अभियुक्तगण द्वारा कथित कारित अपराध की प्रकृति एवं मामले के तथ्यों व परिस्तिथियों को दृष्टिगत रखते हुए उसे जमानत पर रिहा किये जाने के आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

अतः अभियुक्तगण मुन्नी देवी, रामदास, नन्हे, मन्नू प्रत्येक के द्वारा मु० 20,000/- बीस हजार रूपये धनराशि का स्वंय का बन्ध पत्र एवं समान धनराशि के दो-दो प्रतिभू निष्पादित करने पर उक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाता है।

(शान्तनु तंवर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट कायमगंज,
फर्रूखाबाद।